न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान इन्द्रसिंह बनाम जयसिंह आदि

वाद संख्या 89 वर्ष 2022

निर्णय दिनांक 16/09/2025

1. इन्द्रसिंह पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार

वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
2. कुलदीप पुत्र भरतसिंह जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
3. सन्दीप पुत्र भरतसिंह जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
4. बादो देवी पत्नी भरतसिंह जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
5. चरतसिंह पुत्र जीतराम जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
6. रामचन्द्र पुत्र जीतराम जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
7. रामसिंह पुत्र जीतराम जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
8. लक्ष्मण कुमार पुत्र जीतराम जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तह. आदमपुर जिला हिसार
9. शेरसिंह पुत्र जीतराम जाति विश्नोई निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तारानगर जिला चूरू
11. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
12. अशोक पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार
13. सोनू पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर जिला हिसार

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान कारश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री अशोक सिहाग साहवा एडवोकेट वास्ते वादी**
2. **श्री राजेश शर्मा एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 12, 13**
3. **राजपैरोकार प्रतिवादी संख्या 10**

–: निर्णय :–

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा थैलाना तहसील तारानगर के जमाबंदी सम्वत 2073/2076 खाता संख्या 58 खसरा नं. 343/213 क्षेत्रफल 8.3457 हैक्टेयर व खाता संख्या 12 खसरा नं. 344/213 क्षेत्रफल 12645 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण 3 ता 10 कि खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा थैलाना तहसील तारानगर के जमाबंदी राम्वत 2073/2076 खाता सख्या 113 खसरा नं. 345/213 क्षेत्रफल 9.6102 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

यह विवादित भूमि है। भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण ने कृषि भूमि रोही मोजा थैलाना तहसील तारानगर के खसरा नं. 213 का विभाजन सहमती से किया था जो कि सहवन नजरी नक्शा में दर्ज करते समय मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज नही हुआ एवं वादी व प्रतिवादीगण के मुताबिक कब्जा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण खातेदारी का हनन हो रहा है। इससे वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक कब्जा काश्त कृषि भूमि रोही मोजा थैलाना तहसील तारानगर के जमाबंदी सम्वत 2073/2076 खाता सख्या 58 के खसरा नं. 343/213 क्षेत्रफल 8.3457 हैक्टेयर व खाता सख्या 12 के खसरा नं0 344/213 क्षेत्रफल 1.2645 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 (कुलदीप) 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 (संदीप) 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 (बादो देवी) 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 (चरत सिह) 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 (रामचन्द्र) 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 8 (रामसिह) 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 9 (लक्ष्मण कुमार) 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 10 (शेरसिह) 1/6 हिस्सा पर काबिज है व कृषि भूमि रोही मोजा थैलाना तहसील तारानगर के जमाबंदी सम्वत 2073/2076 खाता संख्या 113 के खसरा नं. 345/213 क्षेत्रफल 9.6102 हैक्टेयर भूमि में वादी (इन्दरसिह) 5.5638 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 1 (जयसिह) 2.7819 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश 1.2645 हैक्टेयर पर काबिज है। इस बाबत वादी द्वारा प्रतिवादीगण को काफी दफा कहा गया किंतु प्रतिवादी द्वारा ऐसा नही किया गया व 02/04/2022 को मुकाम तारानगर में ऐसा करने से साफ–साफ इंकार होने पर यह वाद पत्र पेश किया गया है।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर रोही मोजा थैलाना तहसील तारानगर के खसरा नं. 345/213 क्षेत्रफल 9.6102 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 3 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी (इन्द्रसिह) 5.5638 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 1 (जयसिह) 2.7819 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 2 (ओमप्रकाश) 1.2645 हैक्टेयर के नाम दर्ज कि जावे व कृषि भूमि रोही मोजा थैलाना तहसील तारानगर के खसरा नं0 343/213 क्षेत्रफल 8.3457 हैक्टेयर व खाता 4 संख्या 12/11 के खसरा न० 344/213 क्षेत्रफल 1.2645 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादी स० 1 व 2 (ओमप्रकाश) का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 (कुलदीप) 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी स० 4 (संदीप) 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी स० 5 (बादो देवी) 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी स० 6 (चरत सिह) 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स० 7 (रामचन्द्र) 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 (रामसिह) 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स० 9 (लक्ष्मण कुमार) 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स० 10 (शेरसिह) 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का वकालतनामा श्री राजेश कुमार सांकरोत एडवोकेट ने पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने उपस्थित होकर जवाब इकबालदावा पेश किया। दिनांक 20.09.2023 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र शीर्षक से प्रतिवादी सं. 02 का नाम विलोपित किया गया व उनकी जगह प्रतिवादी सं. 12, 13 का नाम दर्ज किया गया। इसके बाद प्रतिवादीगण सं. 12 व 13 की ओर से इकबाल दावा पेश किया। पैरोकार राज ने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। जवाब दावा पेश नहीं करना जाहिर किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर वादी इन्द्र सिंह के साक्ष्य करवाये गये व बयान दर्ज किये गये। वादी इन्द्रसिंह द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जो निम्न प्रकार हैः–

1. प्रदर्शः–1 जमाबंदी वर्ष संवत 2073 से 207 खाता सं. 58
2. प्रदर्शः–2 जमाबंदी वर्ष संवत 2073 से 207 खाता सं. 12

Jayendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

3. प्रदर्शः–3 जमाबंदी वर्ष संवत 2073 से 207 खाता सं. 113
4. प्रदर्शः–4 शपथ पत्र वादी इन्द्रसिंह

वकील उभय पक्षकारान ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दौहराते हुये दावा व इकबालदावा के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 09 व 12, 13 ने वकील वादी के वाद का समर्थन किया।

उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 09 व 12, 13 ने दावा स्वीकार करते हुये जबाव इकबाल दावा पेश किया हैं। वाद का अन्य कोई खण्डन पेश नहीं हुआ हैं। इस प्रकार वाद वादी बरूये जबाव इकबाल दावा पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः वाद वादी बरूये जबाव इकबाल दावा डक्री किया जाना उचित हैं।

–: आदेश :–

वाद वादी बरूये इकबालदावा डिक्री किया जाता हैं तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि रोही मौजा थैलाणा तहसील तारानगर के ख.नं. 345/213 तादादी 9.6102 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी (इन्द्रसिंह) के नाम 5.5638 हैक्ट. भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 (जयसिंह) के नाम 2.7819 हैक्ट. व प्रतिवादी संख्या 12 (अशोक) व 13 (सोनू) के बहिव 1.2645 हैक्ट. दर्ज की जावे तथा ख.नं. 343/213 तादादी 8.3457 हैक्टयर व ख.नं. 344/213 तादादी 1.2645 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 12 व 13 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 प्रत्येक 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 8 , 9 प्रत्येक 1/6 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/9/2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

;बपअपस चतवबमकनतम बवकमए ।चचमदकपग श्क्श्द्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान इन्द्रसिंह बनाम जयसिंह आदि

वाद संख्या 89 वर्ष 2022

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी **श्री अशोक सिहाग एडवोकेट** मिनजानिब मुदई **श्री राजेश शर्मा एडवोकेट, राजपैरोकार** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित कृषि भूमि रोही मौजा थैलाणा तहसील तारानगर के ख.नं. 345/213 तादादी 9.6102 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी (इन्द्रसिंह) के नाम 5.5638 हैक्ट. भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 (जयसिंह) के नाम 2.7819 हैक्ट. व प्रतिवादी संख्या 12 (अशोक) व 13 (सोनू) के बहिव 1.2645 हैक्ट. दर्ज की जावे तथा ख.नं. 343/213 तादादी 8.3457 हैक्टयर व ख.नं. 344/213 तादादी 1.2645 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 12 व 13 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 प्रत्येक 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 8 , 9 प्रत्येक 1/6 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

.... बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			**मिजान**		
मिजान					